न्यायालय– अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

एफ0 डी0 08/2018

रामजी लाल.....–वादी।

बनाम

मारकण्डे लाल वगै0––––––––प्रतिवादीगण।

आदेश

23.01.2023 उभय पक्ष की हाजिरी है। अभिलेख आज आदेश वास्ते प्रस्तुत किया गया। वादी के तरफ से दिनांक– 03.09.2022 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 13 दफा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते बहाल करने सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी ने यह नम्बरी वाद सं0 352/2014 बंटवारा हेतु दाखिल है तथा न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात वादी के पक्ष में प्राथमिकी निर्णय व डिक्री दिनांक– 17.05.2017 तथा 31.05.2017 क्रमशः पारित किया गया जिसके आलोक में वर्तमान फाइनल डिक्री का मुकदमा चल रहा है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि इस मुकदमा के मुताबिक प्राथमिक निर्णय व डिक्री के आलोक में वादी का हिस्सा 1/14 का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 05.11.2022 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है तथा वादी जिस बंटवारा मुकदमा के डिक्री का फाइनल डिक्री तैयार कराना चाहता है उस डिक्री के खिलाफ प्रतिवादीगण ने विविध वाद सं0 21/2018 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 दफा 151 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत चैलेंज किया है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विविध वाद को फेल करने के आदेश से मौजूदा मुकदमा फाइनल डिक्री में कमीश्नर बहाल कर फाइनल डिक्री तैयार कराना चाहते हैं

लगातार
23.01.2023

तथा वादी को शुरू से इस वाद की जानकारी है कि बंटवारा मुकदमा में उन्होंने कई एक हिस्सेदार को बगैर पार्टी बनाये बंटवारा का डिक्री न्यायालय को गफलत में रखकर हासिल किया है तथा वादी जब तक पक्षकारों के साथ मुकदमा लड़कर बंटवारा की डिक्री हासिल करे तब तक फाइनल डिक्री मुकदमा हरगिज चलने के काबिज नहीं है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता के आवेदन दिनांक– 03.09.2022 को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में प्राथमिक डिक्री पारित हो चुकी है। यह वाद अंतिम डिक्री बनाने हेतु लम्बित है, तथा किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। यदि प्रारम्भिक डिकी के विषय में कोई आदेश पारित होता है तो उसका प्रभाव अंतिम डिक्री पर अवश्य होगा, परन्तु उसके इंतजार में 2018 से लम्बित इस वाद की कार्यवाही को रोके रखना कही से भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक– 03.09.2022 अन्तग्रत आदेश 26 नियम 13 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की बहाली हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को पत्र लिखे।

दिनांक– 30.01.2023 वास्ते सुनवाई।

(लेखापित)

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरॉव, बक्सर।